




# LABOUR DEPARTMENT HARYANA



Home About ▾ Labour laws Duties And Functions ▾ RTS BRAP ▾ E-Services ▾ Miscellaneous ▾ SO

» Scheme Detail / इस योजना का विस्तार

Home (मुख पृष्ठ) > Scheme detail (इस योजना का)

## औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)



### Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

इस योजना के अर्तगत पंजीकृत निर्माण कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने हेतु 8000/- रुपये का अनुदान दिया जाता है।

### लाभ प्राप्त करने की शर्त:

1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
2. कीमत, स्रोत तथा तिथि सहित औजारों की सूची बताते हुए वचन।
3. यह सहायता पंजीकृत श्रमिक को पांच वर्ष में एक बार एवं कार्यकाल में अधिकतम पांच बार देय होगी।

### Eligibility / पात्रता

- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

### Benefits / लाभ

Rs.8000

### Process / प्रक्रिया

#### documents / दस्तावेज

[Download Undertaking](#)

#### Work Slip / काम पर्ची

[Download Work Slip](#)

### Other Schemes / अन्य योजनाएं

- » पंजीकृत निर्माण कर्मकार क इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद प्रोत्साहन
- » कोचिंग कक्षाओं के लिए वि
- » व्यवसायिक/तकनीकी संस्था-ना म हास्ट सुविधा हेतु वित्तीय सहायता
- » विधवा पेंशन
- » कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लि प्रोत्साहन राशी(10वीं और 12वीं)
- » प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता
- » शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 6)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (शादी के तीन दिन पूर्व )(नियम 61)
- » मातृत्व लाभ (नियम 50)
- » पितृत्व लाभ (धारा 22(1)(h))
- » औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
- » मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (धारा 22(1)(h))
- » सिलाई मशीन योजना (धारा 22(1)(h))
- » सार्किल योजना (धारा 22(1)(h))
- » कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1))
- » मुफ्त भ्रमण सुविधा (धारा 22(1)(h))
- » अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- » अंपगता सहायता (नियम 59)
- » अंपगता पेंशन (नियम 54)
- » चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नि 59)
- » घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्ति सहायता (धारा 22(1)(h))
- » मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (निय 53)
- » पेंशन की योजना (नियम 51)
- » परिवारिक पेंशन (नियम 62)
- » मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना (निय 57)
- » मृत्यु सहायता (नियम 57)
- » दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (निय 56)